**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1341**

**30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**तकनीकी वस्त्रों में स्टार्टअप की योजना**

**1341. श्री अरविंद गणपत सावंत:**
**श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**
**श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
**श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तकनीकी वस्त्र उद्योग को टिकाऊ बनाने के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी योजना को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अनुदान प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) राज्यों और तहसीलों में उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता किस प्रकार प्रदान की जाती है;

(घ) राज्यवार विशेष रूप से महाराष्ट्र में प्रोटोटाइप बनाने या अपनी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए उक्त योजना के तहत सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों और स्टार्टअप की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) की अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) ने ग्रेट योजना के तहत स्टार्टअप के सात प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है; और

(च) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को कोई वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वस्त्र राज्य मंत्री**
**(श्री पबित्र मार्घेरिटा)**

**(क) से (ग):** जी, हाँ। देश में तकनीकी वस्त्र के इकोसिस्टम को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत ग्रांट फॉर रिसर्च एंड आंतरप्रेन्योरशिप अक्रॉस अस्पाइरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स (ग्रेट) योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों/उद्यमियों को उनके विचारों को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों/उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रेट दिशानिर्देशों के अनुसार,

(i) पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

(क) आवेदन के दिन तक न्यूनतम 21 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति पात्र हैं;

(ख) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल अथवा साझेदारी फर्म अथवा सीमित देयता भागीदारी के रूप में पंजीकृत स्टार्ट-अप कंपनी जिसका पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रुपये से कम है, भी पात्र है, तथापि, आवेदन के समय कंपनी के शामिल होने की तारीख 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ii). व्यक्तिगत आवेदकों/स्टार्ट-अप को 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक का सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। परियोजना को लक्ष्य आधारित पद्धति से लागू किया जाता है। व्यक्तिगत/स्टार्टअप कंपनी को वित्तीय सहायता केवल संबंधित इनक्यूबेटर्स के माध्यम से दी जाती है;

**(घ) और (ड़):** एनटीटीएम के तहत अब तक कुल आठ (08) स्टार्टअप प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, राज्यवार या जिलेवार कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु की पांच (05) स्टार्टअप कंपनियों और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के तीन (03) व्यक्तिगत आवेदकों को इस योजना के तहत अनुदान के लिए मंजूरी दी गई है।

**(च) और (छ):** दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अनुमोदित प्रस्ताव को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

***